न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०
JO Code No–UP06548
<u>सत्र परीक्षण संख्या–1361/2023</u>

सरकार बनाम राहुल आदि ।

धारा–३०७, ३४१ भा०दं०सं०
थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी।
<u>मु०अ०सं०–५७/२०२२</u>

<u>आरोप</u>

मैं **पी०एन०मिश्र**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप **राहुल, रोहित रायकवार** एवं **राजाराम रायकवार** पर निम्न आरोप लगाता हूँ कि–

१. यह कि घटना दिनांक–०९.०३.२०२२ को समय– २०.०० बजे, स्थान–शिव मन्दिर के पास स्टेशन रोड बरूआसागार, अन्तर्गत थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी में आपलोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा नीरज साहू पर तमंचे से जानलेवा फायर किया है। आपके उक्त कृत्य से यदि वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के अपराध के दोषी होती। इस प्रकार अपने वादी मुकदमा नीरज साहू की हत्या का प्रयत्न किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो **धारा–३०७/३४** भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने आरामशीन तिराहे पर उपस्थित होकर वादी मुकदमा नीरज साहू की गाड़ी रूकवाकर सदोष अवरोध कारित किया। इस प्रकार आप लोग **धारा–३४१** भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपलोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–११.०३.२०२४

(पी०एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण उपस्थित है, आरोप उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इनकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–११.०३.२०२४

(पी०एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन–पी०एन० मिश्र, एच०जे०एस०

JO Code No–UP06548

<u>सत्र परीक्षण संख्या–1361/2023</u>

सरकार बनाम राहुल आदि ।

धारा–३०७, ३४१ भा०दं०सं०

थाना–बरूआसागर, जिला–झाँसी।

<u>मु०अ०सं०–५७/२०२२</u>

<u>आदेश</u>

भोजनावकाश उपरान्त पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **राहुल, रोहित रायकवार** एवं **राजाराम रायकवार** जैरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र–१३बी एवं १८बी पर विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु पेश हुयी।

उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मै इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्तगण **राहुल, रोहित रायकवार** एवं **राजाराम रायकवार** ने धारा –३०७/३४, ३४१ भा०द०सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्तगण **राहुल, रोहित रायकवार** एवं **राजाराम रायकवार** के विरूद्व धारा–**३०७/३४, ३४१** भा०द०सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक**–३०.०३.२०२४** को पेश हो।

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

दिनांकः११.०३.२०२४